प्रश्न सं. [क्र. 389]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2010

क्रमांक एफ–19–79/2010/1/4:– भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधान अंतर्गत आदिवासियों की निजी भूमि को आरक्षित संरक्षित वन घोषित किए जाने के ऐसे मामलों, जिनमें आदिवासियों की निजी भूमि को वन विभाग द्वारा अपने आधिपत्य में ले लिया गया है, एवं भूमि तथा उस पर स्थित वृक्षों को मुआवजा भी आदिवासियों को नहीं दिया गया है जबकि राजस्व अभिलेखों में भूमि बतौर भूमि स्वामी उनके नाम दर्ज है, में आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समग्र कार्यवाही करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1	माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2	माननीय राज्यमंत्रीजी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव, वन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
6	पुलिस महानिदेशक का प्रतिनिधि, जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से कम न हो	सदस्य
7	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	संयोजक सदस्य

2/ उपरोक्तानुसार प्रभावित समस्त आदिवासी परिवारों, उनकी भूमि का विवरण, भूमि पर स्थित वृक्षों की जिलेवार विस्तृत जानकारी वन विभाग द्वारा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0के0 वर्मा)
अतिरिक्त सचिव
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

28/8/2010

निरन्तर......

पृ०क्र० एफ–19–79/2010/1/4 भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2010

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
2. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ।
5. प्रमुख सचिव, म.प. शासन, आदिम जाति एवं अनु०जाति कल्याण/राजस्व विभाग,
6. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल।
8. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।

.3.2010